आर. 2. अ -193

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.
(ग्रामीण विद्युतिकरण वृत्त)

क्र./जे.पी.डी/मु.अ. (वाणिज्य)/अ.अ.(आर.ई)/प. 1202 (5) /प्रे47 दिनांक 9-4-08

स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो आवेदक/उपभोक्ता अपना कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित करवाना चाहते है उन पर सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा इस आशय का सरपंच/तहसीलदार से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये दबाव दिया जा रहा है कि कुआ सूख चुका है, जबकि कृषि नीति मे इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है कि उपभोक्ता/आवेदक को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो किसी भी कारण से कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित करवा सकता है। इस प्रक्रिया के चलते उपभोक्ताओं/आवेदको जो कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित करवाना चाहते है उनको कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अतः उपभोक्ता/आवेदक के कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित कर दिया जाए तथा उससे कुआं सुखने सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये दबाव नही दिया जाये, कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण उसी परिस्थिति में किया जाए जिस भूमि पर कनेक्शन स्थानान्तरण किया जाना है उस भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम कम से कम दो वर्ष पूर्व से हो तथा एक बार स्थानान्तरण होने के पश्चात इस कृषि कनेक्श्न को दो वर्ष तक स्थानान्तरित/पुनःस्थानान्तरित नही किया जाए।

(हस्ताक्षर) 3/4/08

(बी.एल. अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर।

D:\All work of officers\Shakher Ji\Hindi ke letter.doc